मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 25 सन् 1972

मध्यप्रदेश मंत्री (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम, 1972

(30-06-2013 तक संशोधित)

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 1973—पौष 22, 1894

क्र. 347-8-1 (i).—मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (25 सन् 1972) की धारा 9 के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मंत्रियों के यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किये जाने हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

नियम

1. ये नियम **मध्यप्रदेश मंत्री (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम, 1972 कहलायेंगे.**

2. **परिभाषा.**—इन नियमों में ''मंत्री'' से अभिप्रेत है, मंत्री परिषद् का सदस्य तथा उसके अंतर्गत राज्य मंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव आते हैं.

3. इन नियमों के अधीन यात्रा भत्ता ऐसी यात्राओं के लिये अनुज्ञेय होगा जो कि केवल लोकहित में की गई हों. इन यात्राओं को ऐसे कर्तव्यों के कारण आवश्यकता हो, जिनका कि पालन मुख्यालय पर न किया जा सकता हो.

टिप्पण.—किसी ऐसे मंत्री द्वारा मुख्यालय से बाहर स्थित किसी स्थान पर, जहां कि वह केवल वैयक्तिक कारणों से गया हो, सामान्य कर्तव्यों का पालन करना यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लिये हकदार बनाने हेतु पर्याप्त नहीं होगा.

4. (1) कोई मंत्री जबकि वह रेल द्वारा कर्त्तव्य पर यात्रा कर रहा हो, कोई भुगतान किये बिना,—

* ''(एक) उच्च शासकीय अध्यपेक्षा द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में या प्रथम श्रेणी वातानुकूलित कोच में एक कूपे या द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान (ए.सी. स्लीपर कोच) में दो बर्थ आरक्षित करवाने के लिये हकदार होगा.''

(दो) आरक्षित स्थान की प्राधिकृत क्षमता के अध्यधीन रहते हुए, आरक्षित स्थान में एक नातेदार को साथ में ले जाने के लिये हकदार होगा. यह रियायत मंत्री द्वारा प्रथम वर्ग के डिब्बे में यात्रा करने पर भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) एक वैयक्तिक सेवक के लिये निम्नतम वर्ग की दर से स्थान तथा 5 क्विंटल तक संभार (लगेज), चाहे वह ट्रेन के लगेज यान में ले जाया गया हो या किसी अन्य ट्रेन द्वारा भेजा गया हों, ले जाने के लिये हकदार होगा.

खण्ड (तीन) में वर्णित से भिन्न माल या भण्डार के लिये भाड़े के प्रभारी की पूर्ति मंत्री द्वारा स्वयं की जायेगी.

जब खण्ड (एक) के अधीन यात्रा की जाय, तो मंत्री, 'अ' ग्रेड पदाधिकारियों को अनुज्ञेय आनुषंगिक व्यय के लिये हकदार होगा तथा शासन द्वारा स्थान आरक्षण प्रभारों का भुगतान किया जायगा :

परन्तु जहां कोई मंत्री उच्च शासकीय अध्यपेक्षा से भिन्न, साधारण प्रथम वर्ग के डिब्बे में या वातानुकूलित कोच में केवल एक बर्थ लेकर यात्रा करे, वहां वह वास्तविक रूप से भुगतान किया गया भाड़ा तथा ऐसे आनुषंगिक व्यय, जो 'अ' ग्रेड पदाधिकारियों को अनुज्ञेय हों, प्राप्त कर सकेगा.

---

* सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए. 3-22-94 (एक) (1), दिनांक 14 फरवरी 1996 द्वारा संशोधन अनुसार.

5. (1) कोई मंत्री जबकि वह सड़क द्वारा कर्तव्य पर यात्रा कर रहा हो,—

(एक) जबकि यात्रा मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 की धारा 6 के अधीन उसे दी गई मोटर गाड़ी से की जाय, तो नियम 7 में विनिर्दिष्ट दर से दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिये हकदार होगा. गाड़ी के चालन हेतु व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किये जायेंगे.

(दो) एक वैयक्तिक सेवक के लिये सड़क या रेल द्वारा प्रवहण के तथा 5 क्विंटल तक वैयक्तिक संचारक वास्तविक व्यय की वसूली के लिये हकदार होगा.

(2) जब कोई मंत्री कर्तव्य पर किसी दूसरे राज्य शासन द्वारा प्रशासित राज्य क्षेत्र के भीतर सड़क द्वारा यात्रा करे तथा यात्रा किसी भाड़े के वाहन में की जाय, तो वह 32 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लिये हकदार होगा.

(3) यदि किसी कारणवश कोई मंत्री विभागीय मोटर गाड़ी का उपयोग करना लोकहित में आवश्यक समझे, तो वह नियम 7 में विनिर्दिष्ट दरों से दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिये हकदार होगा तथा मोटर गाड़ी के चालन व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किये जायंगे.

6. अपवादात्मक परिस्थितियों में, यदि कोई मंत्री लोक सेवा की अत्यावश्यकता में एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेल या सड़क द्वारा अपनी रिक्त मोटर गाड़ी भेजना आवश्यक समझे, तो वह रेल द्वारा मोटर गाड़ी भेजने पर उपगत वास्तविक व्यय या सड़क द्वारा वास्तविक रूप से भेजी गई दूरी के लिये रिक्त मोटर गाड़ी प्रक्षेपण के वास्तविक व्यय प्रभारित करने के लिये हकदार होगा.

*7. फन्डामेंटल रुल्स, जिल्द दो के अपेण्डिक्स-पांच में दिये गये सप्लिमेन्टरी रुल्स 48 से 53 के अध्यधीन रहते हुए, कोई मंत्री राज्य के भीतर प्रतिदिन 51 (इक्यावन) रुपये का दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिये हकदार होगा:

*परन्तु जब वह राज्य के बाहर दौरे पर हो, तो वह 60 (साठ) रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिये हकदार होगा.

** **''टिप्पणी'' एक.**—परन्तु यह और कि जब उसे राज्य के बाहर दौरे पर या विदेश में प्रतिनियुक्ति पर राज्य अतिथि के रूप में माना जाय तथा परिदर्शित किये गये राज्य/संघ/या देश के शासन द्वारा निःशुल्क भोजन तथा वास सुविधा की व्यवस्था की जाय. तो प्राप्त किया गया दैनिक भत्ता संबंधित स्थान पर उसे अनुज्ञेय दैनिक भत्ते के आधे भाग तक सीमित होगा. राज्य के बाहर स्थित स्थानों पर रुकने के संबंध में पूरे दैनिक भत्ते का समर्थन यात्रा भत्ता देयक में इस संबंध में इस आशय के एक प्रमाण-पत्र (जो उसके द्वारा स्वयं अभिलिखित किया जाना चाहिये) द्वारा किया जाना चाहिये कि परिदर्शित किये गये राज्य/संघ/देश द्वारा निःशुल्क भोजन तथा वास सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई थी या यह कि ऐसे अतिथ्य का लाभ नहीं उठाया गया था.

''टिप्पणी'' दो.—मुख्यालय भत्ता, मुख्यालय स्थित निवास स्थान से बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन/हवाई अड्डा तक या विषय मेन के परिवहन व्यय की पूर्ति के लिये मंजूर किया जाता है. दौरे के दौरान कोई भी भत्ता उन व्ययों के लिए नहीं दिया जाएगा जो ठहरने के स्थान पर ऐसे ही प्रयोजनों के लिए उपगत किए जाए. यदि कोई मंत्री बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन/हवाई अड्डे पर पहुंचने या विषर्ययेन के लिये सरकारी यान का उपयोग करता है तो मुख्यालय भत्ता साधारण दर से दैनिक भत्ते का एक चौथाई तक सीमित होगा. अन्यथा मुख्यालय भत्ता उक्त दैनिक भत्ते के आधे के बराबर होगा और इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि सरकारी यान का उपयोग नहीं किया गया है यात्रा भत्ता देयक के अभिलिखित किया जाएगा. यदि मुख्यालय राजभोगी नगरों में से किसी नगर में है तो इस प्रयोजन के लिए विशेष दर लागू होगी. विभागीय यानों द्वारा की गई यात्रा के लिए भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा.''

8. जबकि मध्यप्रदेश फन्डामेन्टल रुल्स, जिल्द-दो के परिशिष्ट पांच के सप्लिमेण्टरी रुल्स 55 में अवधारित शर्तों की पूर्ति होती हों, तो कोई मंत्री दैनिक भत्ते के बदले मील भत्ता ले सकेगा.

---

* सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. 1661-1470-एक(1)-81 दिनांक 4-7-1981 द्वारा संशोधन अनुसार.

** सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. 3-22/83/एक(1), दिनांक 17 अक्टूबर 1996 द्वारा संशोधन अनुसार.

9. कोई मंत्री, मध्यप्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स, जिल्द-दो के परिशिष्ट पांच के सप्लीमेण्टरी रूल 55-ए के अधीन अनुज्ञेय आधा दैनिक भत्ता प्राप्त करने की रियायत के लिये हकदार होगा.

10 (1) कोई मंत्री जबकि वह विमान द्वारा यात्रा कर रहा हो,—

(एक) उस मामले को छोड़कर जबकि ऐसी यात्रा वाणिज्यिक हवाई कम्पनी को लागू क्रेडिट व्हाउचर विनिमय आदेश पद्धति के अधीन की जाय, विमान यात्रा हेतु भुगतान किये गये वास्तविक भाड़े के लिये हकदार होगा, पश्चात्वर्ती मामले में प्रभारी का भुगतान शासन द्वारा किया जाएगा.

(दो) एक वैयक्तिक सेवक के लिये निम्नतम वर्ग द्वारा वास्तविक रेल भाड़े के लिये तथा 224 किलोग्राम तक वैयक्तिक संभार को रेल द्वारा निःशुल्क ले जाने के लिये हकदार होगा:

परन्तु ऐसा कोई, मंत्री, जो अपनी चीजबस्त विमान द्वारा ले जाय अधिकतम 224 किलोग्राम के अध्यधीन रहते हुए उस रकम की जो कि भू-मार्ग द्वारा उसी मात्रा को ले जाने पर उसे अनुज्ञेय होती, सीमा तक वास्तविक व्यय वसूल कर सकेगा.

(तीन) एक दिन में की गई किसी विभाजन यात्रा के दोनों ओर सड़क के सम्बद्ध समस्त ऐसी यात्राओं के लिये, जो विमान यात्रा का भाग न हों या जिन्हें विमान भाड़े में सम्मिलित न किया गया हों, इन नियमों के अधीन दैनिक भत्ते की सीमा तक विहित दर से मील भत्ता पाने के लिये हकदार होगा.

(2) शासकीय कारण से विमान द्वारा की जाने वाली यात्रा रद्द किये जाने पर, कोई मंत्री, विमान यात्रा के रद्द किये जाने के कारण हवाई परिवहन कम्पनी द्वारा की गई शुद्ध कटौतियों की शासन द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु हकदार होगा.

(3) ऐसे आनुषंगिक प्रभारों के लिये हकदार होगा जो कि 'अ' ग्रेड पदाधिकारियों को अनुज्ञेय हों.

11. यदि किसी मंत्री की शासकीय विमान द्वारा या शासन द्वारा भाड़े पर लिये गये विमान द्वारा निःशुल्क यात्रा करने हेतु अनुज्ञात किया जाय और उसे स्वयं के खर्चे पर उसके सेवक या संभार हेतु कोई पृथक् प्रवहण की व्यवस्था न करना पड़े, तो वह उसे अनुज्ञेय दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा तथा उसे मील भत्ते के रूप में नहीं बदलेगा. तथापि, यदि यात्रा का कोई भाग गमनागमन के अन्य साधन द्वारा किया जाय तो वह उसके विकल्प पर दैनिक भत्ते के बदले में उस भाग के लिये अनुज्ञेय मील भत्ता प्राप्त कर सकेगा.

12. (1) भारत के बाहर कर्तव्य पर अग्रसर होने वाला कोई मंत्री निम्नलिखित प्राप्त करने के लिये हकदार होगा:—

(एक) भारत से परिदर्शन के स्थान तक तथा वापसी यात्रा के लिये एक भाड़ा;

(दो) भारत सरकार नियमों के अधीन तत्स्थानी ग्रेड के पदाधिकारियों को अनुज्ञेय दरों से दैनिक भत्ता तथा भोजन एवं निवास पर किया गया वास्तविक व्यय;

(तीन) इनाम, उपदान तथा शासकीय आदर सत्कार पर, जहां कहीं वह आवश्यक हो, किया गया वास्तविक व्यय; और

(चार) शासकीय कर्त्तव्य पर उपगत आनुषंगिक व्यय जैसे टैक्सी भाड़ा गाड़ी(केढ़) भाड़ा आदि.

(2) उपखण्ड (दो) के अधीन भोजन तथा निवास पर किये गये वास्तविक व्यय, ऊपर उपखण्ड (तीन) तथा (चार) के अधीन व्यय के दावों का समर्थन संयुक्त राज्य (यूनाईटेड किंगड्म) में के उच्चायुक्त द्वारा या संबंधित देश में के भारतीय दूत मण्डल के प्रमुख द्वारा या इस संबंध में उच्चायुक्त या दूत मंडल के प्रमुख द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा या उस प्रतिनिधि मण्डल के नेता द्वारा, जिसका कि मंत्री सदस्य हों, प्रत्येक यात्रा भत्ता देयक पर अभिलिखत किय गये इस आशय के प्रमाण-पत्र द्वारा किया जायगा कि उसका यह समाधान हो गया है कि खर्च वास्तव में किया गया और वह ऐसी लोक सेवा के हित में था, जिसके कि कारण यात्रा करनी पड़ी और यह कि व्यय प्रचलित दरों के अनुसार है.

13. जब कि कोई मंत्री भारत के बाहर किसी यात्रा पर अग्रसर हो रहा हो, तो उसे अग्रिम मंजूर किया जा सकेगा. उसकी यात्रा पूरी हो जाने पर ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य शासन प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में आदेश द्वारा अवधारित करे, समायोजन के अध्यधीन रहते हुए अग्रिम की मंजूरी उतनी रकम तक, जो उसके वैयक्तिक यात्रा व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त हो, राज्य शासन के विवेक पर की जा सकेगी. अग्रिम स्वाभाविक रूप से मंजूर नहीं किया जायगा किन्तु केवल ऐसे अवसरों पर मंजूर किया जायगा जब कि यात्रा व्यय इतना अत्यधिक हो कि जिससे मंत्री के प्रायवेट स्त्रोतों पर अत्यधिक भार पड़े.

14. कोई मंत्री निम्नलिखित के संबंध में स्वयं के लिये यात्रा भत्ता इन नियमों के अनुसार प्राप्त करने के हेतु हकदार होगा.

(एक) भोपाल से बाहर उसके सामान्य निवास स्थान से पदभार ग्रहण किये जाने हेतु भोपाल तक यात्रा के संबंध में; और

(दो) पदमुक्त होने पर भोपाल के बाहर स्थित उसके सामान्य निवास स्थान तक की यात्रा के संबंध में.

ऐसे अवसरों पर वह इसके अतिरिक्त उस वर्ग का एक अतिरिक्त, भाड़ा, जिससे कि यात्रा करने के लिये वह हकदार हों, उस के कुटुंब के (फण्डामेन्टल रूल्स में परिभाषित किये गये अनुसार), ऐसे प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिये, जो उसके साथ हो तथा जिसके कि लिये उस वर्ग का पूरा भाड़ा वास्तविक रूप से भुगतान किया ओर प्रत्येक बालक के लिये आधा भाड़ा जिसके कि संबंध में ऐसे भाड़े का वास्तविक रूप से भुगतान किया गया हो तथा उसको और उसके कुटुम्ब को 48 क्विंटल तक चीजबस्त के परिवहन प्रभार प्राप्त करने के लिये हकदार होगा.

टिप्पणी.—ऊपर दिये गये नियम के अधीन किसी मंत्री के लिये अनुज्ञेय संभार प्रभार, संभार का परिवहन रेल द्वारा किये जाने के मामले में, फण्डामेंटल रूल्स, जिल्द दो के परिशिष्ट-पांच के सप्लिमेंण्टरी रूल 81सी (1) तथा तद्धीन दिये गये टिप्पणी के अनुसार और सड़क द्वारा संभार का परिवहन किये जाने के मामले में सप्लिमेन्टरी रूल्स 81सी (2) तथा तद्धीन दिये गये टिप्पणी के अनुसार विनियमित होंगे.

15. मुख्यमंत्री की मृत्यु या उसके द्वारा पदत्याग दिये जाने के परिणामस्वरूप मंत्री परिषद् के विघटन की दशा में, ऐसा कोई मंत्री, जो कि कर्त्तव्य पर यात्रा करते हुए मुख्यालय से बाहर हों, मुख्यालय तक अपनी वापसी यात्रा के लिये उन्ही यात्रा तथा अन्य भत्तों के लिये हकदार होगा, जो कि उसे मंत्री परिषद् के विघटन के ठीक पूर्व इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय हों.

16. मध्यप्रदेश मिनिस्टर्स एण्ड डेप्यूटी मिनिस्टर्स (ट्रेवलिंग एण्ड डेली अलाऊंसेज) रूल्स, 1957 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही, जब तक कि ऐसी बात या कार्यवाही इन नियमों के किन्हीं भी उपबन्धों से असंगत न हों, इन नियमों के तत्स्थनी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. जे. हीरजी, विशेष सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 1973—पौष 22—1894

क्र. 348-8-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 347-8-एक (1), दिनांक 12 जनवरी 1973 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. जे. हीरजी, विशेष सचिव.

Bhopal, the 12th January 1973—Pausha-22-1894.

No. 347-8-1-(i).—In exercise of the powers conferred by Section 11 read with Section 9 of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972), the State Government hereby makes the following rules for the Payment of travelling and daily allowances to a Ministers, namely:—

RULES

1. These rules may be called the **Madhya Pradesh Ministers (Travelling and daily Allowances) Rules, 1972.**

2. **Definition.**—In these rules "Minister" means a member of the council of ministers and inclueds a Minister of State, a Deputy Minister and a Parliamentry Secretary.

3. Under these rules, travelling allowances shall be admissible for such journeys as may be performed in the public intrest only. The Journeys must have been necessited by duties which can not be performes. from the head quarters.

NOTE.—Performence of normal duties by a Minister are place away from his headquarters in which he may proposed purely for; personal reasons shall not be sufficient to entitle him to draw travelling allowance.

*(i) Shall be entitled to reserve by high official requisition a coupe in the first class compartment of in the first class air conditioned coach or two berths in the second class air conditioned sleeper coach".

(ii) take with him in the reserved accommodation one relative subject to the authorised capacity of the reserved accommodation; this concession is admgissible even if a Minister travels in a first class compartment.

(iii) Accommodation at the lowest class for one personal servant and carriage of luggage up to 5 quintals whether carried in the luggage van of the train or sent by any other train.

Freight charges for goods or stores other than those mentioned in clause (iii) [of subrule (1)] shall be met by Minister himself.

When in Journey is performed under caluse (i) of [sub-rule(1)], a Minister is entitle 1 to incidental charges as adminissible in 'A' grade officers and the charges for reservation of accommodation shall be paid by Government:

Provided that where a Minister travels by taking otherwise than on high official quisition, a single berth in an ordinary first class compartment or in an air conditioned coach, he may draw the actual fare paid plus incidental charges as admissible to 'A' grade Officers.

5. (1) A Minister when travelling on duty by road is entitled to,—

(i) draw daily allowances at the rates specified in rule 7 when the journey is performed in the motor vehicles provided to him under section 6 of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972. The running expenses of the car will be borne by Government;

(ii) recover the actual cost of conveyance by road or rail of one personal servant and personal luggage up to five quintals.

(2) When a Minister travels on duty by road within the territoies administered by another State Government and the Journey is undertaken in a thired conveyance he shall be entitled to draw travelling allowance at the rate of 32 paisa per kilometer.

(3) If for any reason a Minister finds in neccessaary in the public interest in use a departmental car, he shall be entitled in draw the daily allowance at the rates specified in rule 7 and the running expenses of the car will be borne by the Government.

---

*GAD Notification No. F.A. 3-22/94-I(i)-371, dt. 14-2-96

(6) If in exceptional circumstances, a Minister finds it necessary to send his car empty by rial or road from one place to another in the exigency of the public service. he shall be entitled to charge the actual expenditure incurred on sending the car by rail or the actual cost of propulsion of the car for the distance it in actually sent empty by road.

*(7) Subject to the condition laid down in supplementary rules 48 to 53 in Appendix V to Fundamental rules. Volume II. a Minister is entitled to draw daily allowance at Rs. 51 (fifty one) per cliem inside the State:

Provided that when on tour outside the State he shall be entitled to drew daily allowance at Rs. 60/-(Sixty) per cliem.

**NOTE-I.—Provided further that when on tour outside the State or on deputation abroad, he is treated as a State Guest and provided free board and lodging at the expenses of the Government of the State/Union or Country visited, the daily allowance drawn will be limited to one half of what is admissible to him at the Station concerned. The claim to the full daily allowance in respect of halts at places outside the State should be supported by a certificate in the travelling allowance bill (to be recorded by himself) to the effect that free board and lodging was not provided by the State/Union or Country visited or that such hosptiality was not availed of.

"NOTE-II.—**Headquarters Allowance:**—A headquaarters allowance is granted to coever the expenses of transport from the residence at the headquarters to Bus Stand/Railway Station/Air-port or *vice* versa. NO allowance will be paid for expenses that may be incurted for similar purposes at place of halt during the tour. If a Minister uses a Government vehicle to reach the Bus Stand/Railway Station/Air-port or *vice* versa, the headquarters allowance shall be limited to one fourth of the daily allowance at ordinary rates. Otherwise the headquarters allowance will be equal to one half of the said daily allownace and certificate regarding non use of a Government vehicle should be recorded on the T.A. bill. If the headquarters is any of the Rajbhogi Towns the special rule will be applicable for this purpose. The allowance will not be admissible for journeys performed by Departmental Vehicles."

8. A Minister may exchange his daily allowance for mileage allowance when the conditions laid down in supplementary rule 55 in Appendix V to the Madhya Pradesh Fundamental Rules, Volume II are fulfilled.

9. A minister shall be entitled to the concession of the drawal of half daily allowance admissible under supplimentary rule 55-A in Appendix V to the Madhya Pradesh Fundamental Rules, Volume II.

10. (1) A Minister when travelling by air is entitled to,—

(i) the actual fare paid for the air journey save when such journey is performed under the credit voucher exchange order system applicable to commercial Airlines. In the latter case, the charges shall be paid by Government;

(ii) the actual railway fare by the lowest class of one personal servant with free carriage by rail, of personal luggage upto 224Kg., provided that a Minister who carries his personal effects by air, may, subject to the maximum of 224Kg. recover actual expenses upto the limit of the amount which would have been admissible had he taken the same quantity by the surface route;

(iii) for all connected journeys by road at either end on an air journey on single day not forming part of the air journey or included in the air fare, mileage allowance at the prescribed rate limited to daily allowance admissible under these rules.

(2) On the cancellation of journey by air due to officail reason, a Minister shall be entitled to be reimbursed by Goverment the net deduction made by the Air Transport Company on cancellation of the air passage.

(3) Incidental charges as admissible to 'A' grade officers.

---

*GAD Notification No. F.A. 3-22/94-I(1)-371, dt. 14-2-98
**GAD Notification No. F.A. 3-22-1983-I(1), dt.17-10-86

11. If a Minister is allowed free transit by air in a Government machine or in a machine chartered by Government and has not to provide a separate conveyance at his own expense for his servants or luggage he may draw the daily allowance admissible to him and not exchange. It for mileage allowance. If however, a part of the journey is made by other means of locomotion, he may at his option draw in lieu of the daily allowance the mileage allowance admissible for that part.

12. (1) A Minister proceeding on duty outside India is entitled to draw the following :—

(i) Single fare for the journey from India to the place of visit and back;

(ii) daily allowance at the rates admissible to officers of corresponding grades under the Government of India rules or actual expenses on boarding and lodging;

(iii) actual expenditure or, tips, gratuities and official entertainments where necessary; and

(iv) incidental expenses such as taxi-hire, cab hire, etc. incurred on official duty.

(2) Claim for actual expenses on board and lodging under sub-clause (ii) for expenses under sub-clauses (iii) and (iv) above, shall be supported by a certificate recorded on each travelling allowance bill by the High Commissioner in the United kingdom or by the Head of the Indian Mission in the country concerned, or by an officer authorised by the High Commissioner or the Head of the Mission in this behalf, or by the leader of the Delegation of which the Minister happens to be a member to the effect that he has satisfied himself that the expenditure was actually incurred and was in the interest of public service which occasioned the journey and that the expenses are in accordance with the prevailing rates.

13. An advance may be granted to a Minister when he is proceeding on a journey outside India. The advance may be granted at the discretion of the State Government up of an amount sufficient to cover his personal travelling expenses subject to adjustment on completion of his tour in such manner as the State Government may in each individual care by order determine. An advance shall not be granted as a matter of course but only on occasion when the cost of travelling is so heavy as to be a serious burden on the Minister's private resources.

14. A Minister shall be entitled to travelling allowance for himself in accordance with these rules:

(i) in respect of the journey to Bhopal from his usual place of residence out of Bhopal for assuming office; and

(ii) in respect of the journey from Bhopal to his usual place of residence out of Bhopal on relinquishing office.

On such occasions he shall also, in addition, be entitled to extra single fare of the class by which he is entitled to travel for each adult member of his family (as defined in Fundamental Rules) who accompanies him and for whom full fare of that class is actually paid and one half fare of each child for whom such fare is actually paid and transportation charges of his family's effects up to 43 quintals.

Note.—The luggage charges admissible to a Minister under the above rule shall be regulated in accordance with the rates prescribed in S. R. 81-C (1) and the notes there under in Appendix V to Fundamental Rules, Volume II, in case the luggage is transported by rail, and in S. R. 81-C(2) and the notes there-under, in case the luggage is transported by road.

15. In the event of dissolution of the Council of Ministers consequent on the death or remitting of office by the Chief Minister, a Minister who is away from Headquarters on tour on duty, shall be entitled, for his return journey to the Headquarters to the same travelling and other allowances as admissible to him under these rules immediately before the dissolution of the Council of Minister.

16. The Madhya Pradesh Ministers (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957 are hereby repealed:

Provided that anything done or any action taken under the rules so repealed shall, unless such thing done or action taken is inconsistent with any of the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. J. HEERJEE, Spl. Secy.

GCPB—158—USGAD—30-5-13—250.